**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 93**

**सोमवार, 17 जुलाई, 2017/ 26 आषाढ़, 1939 (शक)**

**सड़क कनेक्‍टिविटी में सुधार**

93. **श्रीमती विप्‍लव ठाकुर:**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या केन्‍द्र सरकार ने औद्योगिक विकास को सुनिश्‍चित करने के लिए सड़कों की कनेक्‍टिविटी में सुधार करने के लिए राज्‍य सरकारों को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्‍यों की क्‍या प्रतिक्रिया है, तत्‍संबंधी राज्‍य-वार ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या सरकार ने सड़कों की कनेक्‍टिविटी में सुधार करने के लिए हिमाचल प्रदेश को गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान वित्‍तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) एवं (ख):** यह मंत्रालय मुख्‍यत: राष्‍ट्रीय राजमार्गों के विकास व अनुरक्षण के लिए उत्‍तरदायी है ।

प्रस्‍तावित भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क-संपर्कता का विकास करने, छोटे पत्‍तनों के लिए सड़क-संपर्कता सहित तटवर्ती सड़कों का विकास करने, राष्‍ट्रीय गलियारों की सामर्थ्‍य में सुधार लाने, सागरमाला के साथ एकीकरण करने के साथ-साथ आर्थिक गलियारों आदि का विकास करने के उद्देश्‍य से मंत्रालय ने राज्‍य सरकारों, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआइपीपी) सहित केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके राष्‍ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क की विस्‍तृत समीक्षा करने का कार्य शुरू किया है । महत्‍वपूर्ण औद्योगिक गलियारों का विकास करना भी इस महत्‍वपूर्ण पहल का भाग है । लोक निवेश बोर्ड (पीआइबी) ने 16.06.2017 को हुई अपनी बैठक के दौरान भारतमाला परियोजना के चरण-। के लिए अनुमोदित निवेश संबंधी प्रस्‍ताव को मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति (सीसीईए) के विचारार्थ भिजवाने की अनुशंसा की है ।

**(ग) एवं (घ):** यह मंत्रालय, समय-समय पर वित्‍त अधिनियम द्वारा संशोधित केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार राज्‍यीय सड़कों (गैर-ग्रामीण सड़कों) तथा आर्थिक महत्‍व एवं अंतर-राज्‍यीय संपर्कता (ईआइ एवं आइएससी) वाली सड़कों के विकास के लिए राज्‍यों/संघ-राज्‍य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करता है । हिमाचल प्रदेश राज्‍य में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय सड़क निधि उपार्जन एवं निर्मुक्‍ति तथा ईआइ एवं आइएससी स्‍कीमों के अंतर्गत आबंटन व निर्मुक्‍त धनराशि/व्‍यय का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:-

(राशि करोड़ रु. में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| स्‍कीमें | 2014-15 | | 2015-16$ | | 2016-17 | | 2017-18 | |
| उपार्जन/ आबंटन | निर्मुक्‍ति/ व्‍यय | उपार्जन/ आबंटन | निर्मुक्‍ति/ व्‍यय | उपार्जन/ आबंटन | निर्मुक्‍ति/ व्‍यय | उपार्जन/ आबंटन | निर्मुक्‍ति/ व्‍यय # |
| सीआरएफ | 37.26 | 0.00 | 40.59 | 95.14 | 100.91 | 55.41 | 102.94 | 0.00 |
| ईआइ एवं आइएससी | \* | 0.00 | \* | 0.00 | 17.00 | 14.58 | 12.00 | 6.64 |

$-पूर्व वर्षों के उपार्जन के अव्‍ययित शेष में से वर्ष के लिए उपार्जनों से अधिक निर्मुक्‍त निधियां

\*- राज्‍य/संघ-राज्‍य क्षेत्र-वार आबंटन नहीं किए जाते हैं ।

#-जून, 2017 तक

\*\*\*\*\*Bottom of Form